UPBP010022172026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलरामपुर

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

प्रथम जमानत आवेदन पत्र सं०-802/2026
अपराध संख्या-26/2026
धारा-115(2), 351(3) बी०एन०एस०
एवं धारा-5(M), 5(G), 5/6 पाक्सो एक्ट
सी०एन०आर०नम्बर-UPBP010022172026
पुलिस थाना-सादुल्लानगर
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

अब्दुल जाहिद आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र मोहम्मद बुद्ध उर्फ बब्बू निवासी ग्राम रानीपुर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर (उ०प्र०).....आवेदक

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. पीड़ित.....अभियोजन/विपक्षीगण

दिनांक-22.07.2026

उपस्थिति-

(1) आवेदक की ओर से श्री शत्रुजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला उपस्थित।

पृष्ठभूमि-

(2) आवेदक अब्दुल जाहिद की ओर से शपथिनी आवेदक की मां तसलीमु निशा आयु लगभग 67 वर्ष पत्नी बुद्धू उर्फ बब्बू निवासिनी ग्राम रानीपुर थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक की ओर से धारा-483 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस आवेदन पत्र के अलावा कोई अन्य आवेदन पत्र किसी समकक्ष, विशेष या मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष न तो लंबित है और न ही खारिज होकर निराकृत हुआ है। तर्क के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भी उनकी जानकारी में धारा-483 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत

आवेदन प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना व्यक्त किया गया है।

<u>आवेदक का पक्ष-</u>

(3) आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, वादी ने उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया है। आवेदक ने कथित पीड़ित को न बहलाया है, न ही फुसलाया है और न ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीबद्ध करायी गई है तथा विलम्ब का कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। पीड़ित वयस्क है, जबकि वादी ने कथित पीड़ित को गलत ढंग से अवयस्क दर्शित किया है। कथित पीड़ित के धारा-180 एवं धारा-183 बी०एन०एस०एस० के कथनों में विरोधाभाष है। आवेदक दिनांक 04.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इस प्रकार उपरिवर्णित अभिवचनों के आधार पर आवेदक को समुचित जमानत एवं बंधपत्र के आधार पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

<u>अभियोजन का पक्ष-</u>

(4) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दिलायी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का प्रबलता पूर्वक विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक के ऊपर अत्यधिक गंभीर प्रकृति के आरोप है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में गलत संदेश जायेगा, जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक गवाहों को प्रभावित करेगा। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

<u>प्रकरण के तथ्य-</u>

(5) संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि फरियादी के गांव के राम संवारे के यहां बर्थ डे का कार्यक्रम था। उसका लड़का/पीड़ित उम्र 12 वर्ष दिनांक 02.06.2026 को समय करीब शाम 07.30 बजे बर्थडे कार्यक्रम देखने गया था कि विपक्षी मो० फरहान, अब्दुल जाहिद व अफसर रजा निवासीगण उपरोक्त भी वहीं पर मौजूद थे। उसके बेटे/पीड़ित को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर उपरोक्त विपक्षीगण बैठाकर जंगल की तरफ सूनसान जगह पर लेकर गये और बारी-बारी से तीनों लोगों ने उसके लड़के के साथ दुष्कर्म किया, किसी तरह से उसका लड़का मौका पाकर भागा तो उपरोक्त विपक्षीगण मारने-पीटने

लगे तथा धमकी दिये कि यदि किसी को कुछ बताओगे तो जान से मार देंगे। उक्त घटना के सम्बन्ध में उसके लड़के ने रो-रोकर पूरी बात बताई। उपरोक्त आशय की लिखित तहरीर फरियादी द्वारा पुलिस थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर पर प्रस्तुत करने पर मु०अ०सं०-26/2026 पंजीबद्ध कर अन्वेषण कार्यवाही प्रचलित हुई।

<u>आवेदन पत्र के संबंध में अभिमत-</u>

(6) उभयपक्ष के विद्वान अभिवक्तागण के तर्कों का श्रवण किया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

(7) पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रकरण के पीड़ित की जन्मतिथि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में दिनांक 16.07.2014 अंकित है, जिसके अनुसार देखा जाए तो पीडित की उम्र घटना दिनांक 03.06.2026 को 11 वर्ष 10 माह 16 दिन होना प्रकट हो रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि पीड़िता घटना के समय एक अवयस्क बालक था। पीड़ित ने अपने बयान धारा-180 बी०एन०एस०एस० के कथन यह व्यक्त किया है कि "कल दिनांक 02.06.2026 की शाम करीब 8.00 बजे मे अपने घर के बगल मे बर्थ डे मे शामिल होने के लिए गया था वही पर हमसे मो० फरहान व अब्दुल जाहिद व अफसर रजा मिले अफसर रजा हमसे बोले कि मेरे साथ चलोगे तो तुमको कोल ड्रीक पिलाऊंगा और पैसे भी दूंगा मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया जब अफसर रजा मो० फरहान व अब्दुल जाहिद हमको एक मोटर साइकिल पर बैठाकर गयघटवा वाले जंगल मे लेकर गये जंगल मे हमको मोटर साइकिल से उतार कर अफसर रजा मेरा हाथ पकड़ कर जंगल मे ले गये और मेरा पैन्ट खोलने लगे तब मै पूछा क्या कर रहे हो तो अफसर रजा बोले कि तुमको पैसा चाहिए कि नही फिर जबरजस्ती मेरा पैन्ट खोलकर हमको जमीन पर लिटा दिये और मेरे साथ गंदा काम किये 10-15 मिनट बाद मो0 फरहान आये और वह भी मेरे साथ जबरजस्ती गंदा काम किया फिर अब्दुल जाहिद आये और उन्होने भी गंदा काम किया जब हमको अत्यन्त दर्द होने लगा तो मै चिल्लाने लगा तब अफसर रजा मेरा मुंह बंद कर दिये तीनो लोग मारने पिटने लगे मै रोने लगा और भागना चाहा तो लोग मुझे पीछे से पकड़ लिए मै इसी तरह अपना कपड़ा छोड कर भागा...."

(8) धारा-183 बी०एन०एस०एस० के कथन में पीड़ित ने यह बताया है कि "दिनांक 02.06.2026 को शाम 8 बजे के करीब मैं अपने गाँव में दिलीप चाचा के यहाँ पर जन्मदिन पार्टी में गया था। वहाँ मैंने पानी पिया। उसके बाद मुझे वहाँ पर मेरे गाँव के मो फरहान, अब्दुल जाहिद एवं अफसर रजा मिले। इन

तीनों ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और यह भी कहा कि साथ चलो तो तुमको पैसा देंगे एवं कोल्डड्रिंक पिलायेंगे। मैंने मना कर दिया तो इन तीनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और मुँह बन्द करके जंगल में लेकर चले गये। जंगल में इन तीनों ने बारी बारी से मेरे साथ अप्राकृतिक संभोग किया। इन तीनों ने अपना लिंग मेरे पिछवाड़े में जबरदस्ती डाल दिया। इसके बाद जब ये तीनों शराब पीने लगे तो मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गया।"

(9) पीड़ित के उपरोक्त दोनों कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना दिनांक को आवेदक अब्दुल जाहिद द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी के नाबालिग एवं अबोध पुत्र/पीड़ित को कोल्ड ड्रिंक एवं पैसों का प्रलोभन देकर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गये और वहां पर उसके साथ बारी-बारी अप्राकृतिक दुष्कर्म कारित किया गया तथा उसे मारा-पीटा गया एवं उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आवेदक द्वारा कारित कृत्य अत्यन्त जघन्य, वीभत्स, अमानवीय एवं क्रूरतम अपराध की परिधि में आने वाला कृत्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध के गुरूत्व इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त अब्दुल जाहिद आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र मोहम्मद बुद्ध उर्फ बब्बू निवासी ग्राम रानीपुर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा-483 भा०ना०सु०सं० प्रस्तुत दिनांक 07.07.2026 वास्ते अपराध क्रमांक-26/2026 अन्तर्गत धारा-115(2), 351(3) बी०एन०एस० एवं धारा-5(M), 5(G), 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध अन्तर्गत पुलिस थाना-सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) निरस्त किया जाता है।

आदेश मेरे उदबोधन पर टंकित किया गया।

दिनांक-22.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.22 16:31:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court